

गृह मंत्रालय
मांग संख्या 56
गृह मंत्रालय (लक्षद्वीप)

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022			बजट 2022-2023			संशोधित 2022-2023			बजट 2023-2024		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1209.45	65.88	1275.33	1199.60	221.90	1421.50	1230.53	118.65	1349.18	1136.02	285.48	1421.50
वसूलियां	-26.84	-0.02	-26.86	-26.50	-0.25	-26.75	-26.50	-0.25	-26.75	-26.50	-0.25	-26.75
प्राप्तियां
निवल	1182.61	65.86	1248.47	1173.10	221.65	1394.75	1204.03	118.40	1322.43	1109.52	285.23	1394.75
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	14.26	...	14.26	19.80	...	19.80	19.80	...	19.80	20.40	...	20.40
2. अन्य स्थापना	407.73	...	407.73	424.80	...	424.80	424.80	...	424.80	407.42	...	407.42
	-19.95	...	-19.95
<i>निवल</i>	<i>387.78</i>	<i>...</i>	<i>387.78</i>	<i>424.80</i>	<i>...</i>	<i>424.80</i>	<i>424.80</i>	<i>...</i>	<i>424.80</i>	<i>407.42</i>	<i>...</i>	<i>407.42</i>
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	402.04	...	402.04	444.60	...	444.60	444.60	...	444.60	427.82	...	427.82
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
अन्य												
3. संघ राज्यक्षेत्र की योजनाएं												
3.01 आपदा प्रबंधन	0.34	...	0.34	0.31	...	0.31	0.31	...	0.31	0.30	...	0.30
3.02 सूचना प्रौद्योगिकी	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00	9.50	55.00	64.50
3.03 पुलिस	...	3.53	3.53	0.30	32.00	32.30	0.30	9.00	9.30	2.50	10.80	13.30
3.04 विद्युत	171.09	4.90	175.99	114.06	11.50	125.56	202.56	3.50	206.06	146.00	7.55	153.55
3.05 कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	4.30	1.05	5.35	15.06	4.60	19.66	6.69	3.65	10.34	6.10	2.10	8.20
	...	-0.02	-0.02	...	-0.25	-0.25	...	-0.25	-0.25	...	-0.25	-0.25
<i>निवल</i>	<i>4.30</i>	<i>1.03</i>	<i>5.33</i>	<i>15.06</i>	<i>4.35</i>	<i>19.41</i>	<i>6.69</i>	<i>3.40</i>	<i>10.09</i>	<i>6.10</i>	<i>1.85</i>	<i>7.95</i>
3.06 पर्यावरण एवं वन	1.62	0.49	2.11	1.61	2.70	4.31	1.61	0.80	2.41	1.60	0.25	1.85
3.07 पंचायती राज	8.98	0.02	9.00	6.50	0.30	6.80	4.00	0.05	4.05	7.00	0.30	7.30
3.08 नागरिक आपूर्ति	6.78	0.25	7.03	9.40	0.75	10.15	5.00	0.75	5.75	5.00	0.75	5.75
	-3.25	...	-3.25	-6.50	...	-6.50	-6.50	...	-6.50	-6.50	...	-6.50
<i>निवल</i>	<i>3.53</i>	<i>0.25</i>	<i>3.78</i>	<i>2.90</i>	<i>0.75</i>	<i>3.65</i>	<i>-1.50</i>	<i>0.75</i>	<i>-0.75</i>	<i>-1.50</i>	<i>0.75</i>	<i>-0.75</i>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022			बजट 2022-2023			संशोधित 2022-2023			बजट 2023-2024		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
3.09 स्वास्थ्य	39.05	4.21	43.26	41.13	60.05	101.18	37.13	16.00	53.13	36.00	50.00	86.00
3.10 शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति	22.01	3.58	25.59	36.25	11.60	47.85	32.25	11.60	43.85	41.20	52.20	93.40
3.11 समाज कल्याण, महिला और बाल विकास	7.86	0.44	8.30	7.85	0.75	8.60	7.85	0.75	8.60	7.00	2.50	9.50
3.12 ग्रामीण और लघु उद्योग	0.29	0.13	0.42	0.97	0.75	1.72	0.97	0.50	1.47	0.75	0.25	1.00
3.13 रोजगार और प्रशिक्षण	2.14	...	2.14	3.11	3.00	6.11	3.11	1.00	4.11	3.00	1.55	4.55
3.14 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	1.00	0.21	1.21	1.81	0.60	2.41	1.21	0.50	1.71	1.75	0.50	2.25
3.15 शहरी विकास, आवासन, जलापूर्ति और बाढ़ नियंत्रण	24.50	32.65	57.15	29.15	41.50	70.65	27.15	41.50	68.65	13.65	61.80	75.45
	-2.92	...	-2.92	-20.00	...	-20.00	-20.00	...	-20.00	-20.00	...	-20.00
<i>निवल</i>	<i>21.58</i>	<i>32.65</i>	<i>54.23</i>	<i>9.15</i>	<i>41.50</i>	<i>50.65</i>	<i>7.15</i>	<i>41.50</i>	<i>48.65</i>	<i>-6.35</i>	<i>61.80</i>	<i>55.45</i>
3.16 सड़कें	0.09	5.23	5.32	0.35	15.00	15.35	0.15	7.00	7.15	0.20	10.00	10.20
3.17 परिवहन	430.30	6.60	436.90	416.45	28.70	445.15	384.95	16.70	401.65	417.00	21.50	438.50
3.18 पर्यटन विकास	0.69	2.19	2.88	3.25	6.25	9.50	3.25	3.50	6.75	3.00	4.90	7.90
<i>जोड़- संघ राज्यक्षेत्र की योजनाएं</i>	<i>774.87</i>	<i>65.46</i>	<i>840.33</i>	<i>721.06</i>	<i>219.80</i>	<i>940.86</i>	<i>751.99</i>	<i>116.55</i>	<i>868.54</i>	<i>675.05</i>	<i>281.70</i>	<i>956.75</i>
4. केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए संघ राज्य क्षेत्र पूरक	2.23	...	2.23	3.34	...	3.34	3.34	...	3.34	2.80	...	2.80
5. अनुदानग्राही/अन्य निकाय	1.51	...	1.51	2.19	...	2.19	2.19	...	2.19	2.20	...	2.20
6. संघ राज्य क्षेत्र का अन्य व्यय	1.96	0.40	2.36	1.91	1.85	3.76	1.91	1.85	3.76	1.65	3.53	5.18
जोड़-अन्य	780.57	65.86	846.43	728.50	221.65	950.15	759.43	118.40	877.83	681.70	285.23	966.93
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	780.57	65.86	846.43	728.50	221.65	950.15	759.43	118.40	877.83	681.70	285.23	966.93
कुल जोड़	1182.61	65.86	1248.47	1173.10	221.65	1394.75	1204.03	118.40	1322.43	1109.52	285.23	1394.75

1. **सचिवालय:** लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान है।

2. **अन्य स्थापना:** इसमें संघ राज्य क्षेत्र के अन्य विभागों/कार्यालयों का स्थापना प्रावधान शामिल है, अर्थात् संचार, योजना एवं सांख्यिकी, न्यायालय, वेतन एवं लेखा, जिला प्रशासन, पुलिस, अग्निशमन बल, इंडिया रिजर्व बटालियन, विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, सहकारिता, बानिकी एवं वन्य जीव, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सिविल आपूर्ति, विधिक माप-पद्धति, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, खेल एवं युवा सेवा, कला एवं संस्कृति, उद्योग, सूचना एवं प्रचार, रोजगार एवं प्रशिक्षण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक निर्माण कार्य, जलापूर्ति, आवास, सड़क परिवहन, पत्तन, पोत परिवहन एवं विमानन, नागर विमानन और पर्यटन विकास आदि।

3.01. **आपदा प्रबंधन:** इसमें प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत के लिए प्रावधान शामिल है।

3.02. **सूचना प्रौद्योगिकी:** इसमें सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए अवरसंरचना संबंधी सुविधाओं के विकास तथा डाटा कनेक्टिविटी के संवर्धन के लिए प्रावधान शामिल हैं।

3.03. **पुलिस:** इसमें भवनों, मशीन एवं उपकरण, पुलिस फायरफोर्स और इंडिया रिजर्व बटालियन के लिए मोटर वाहनों जैसी अवरसंरचना संबंधी सुविधाओं के विकास, के लिए प्रावधान शामिल हैं।

3.04. **विद्युत:** इसमें विद्युत उत्पादन, वितरण जैसी अवरसंरचना सुविधाओं के विकास, स्ट्रीट लाइटों के रख-रखाव तथा ऊर्जा के नए एवं नवीकरणीय स्रोतों के लिए प्रावधान शामिल हैं।

3.05. **कृषि और संबद्ध कार्यकलाप:** इसमें खेती-बाड़ी, मृदा संरक्षण, पशुपालन, मछलीपालन और सहकारिता के लिए प्रावधान शामिल हैं।

3.06. **पर्यावरण एवं वन:** इसमें पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण तथा वन एवं वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रावधान शामिल हैं।

3.07. **पंचायती राज:** इसमें पंचायती राज संस्थाओं के विकास के लिए प्रावधान शामिल हैं।

3.08. **नागरिक आपूर्ति:** इसमें खाद्य भंडारण एवं माल गोदाम तथा सिविल आपूर्ति क्षेत्रों के अंतर्गत राशन तथा आवश्यक वस्तुओं के प्रापण, भंडारण और वितरण के लिए अवसंरचना के सृजन हेतु प्रावधान शामिल है।

3.09. **स्वास्थ्य:** इसमें विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों की अवसंरचना के सृजन और रखरखाव, स्वास्थ्य बीमा योजना तथा चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य गतिविधियों के लिए प्रावधान शामिल है।

3.10. **शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति:** इसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित अवसंरचना के सृजन एवं रखरखाव और विकास, खेल एवं युवा सेवाओं के विकास तथा पुस्तकालयों और कला एवं संस्कृति के अंतर्गत अन्य गतिविधियों के लिए प्रावधान शामिल है।

3.11. **समाज कल्याण, महिला और बाल विकास:** इसमें समाज कल्याण एवं जनजातीय मामलों के अंतर्गत विकास कार्यक्रमों और महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत अवसंरचना के सृजन के लिए प्रावधान शामिल है।

3.12. **ग्रामीण और लघु उद्योग:** इसमें ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए प्रावधान शामिल है।

3.13. **रोजगार और प्रशिक्षण:** इसमें श्रम प्रवर्तन, रोजगार सेवाओं और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के विकास के लिए प्रावधान शामिल है।

3.14. **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:** इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अनुसंधान कार्यक्रमों और विकास संबंधी गतिविधियों के लिए प्रावधान शामिल है।

3.15. **शहरी विकास, आवासन, जलापूर्ति और बाढ़ नियंत्रण:** इसमें विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा अन्य भवनों के निर्माण और अनुरक्षण, जलापूर्ति और स्वच्छता संबंधी अवसंरचना के सृजन, रिहायशी भवनों के निर्माण तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए अवसंरचना के विकास (समुद्री अपरदन-रोधी) के लिए प्रावधान शामिल है।

3.16. **सड़कें:** इसमें सड़कों के निर्माण और अनुरक्षण तथा सड़क सुरक्षा गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान शामिल है।

3.17. **परिवहन:** इसमें पत्तनों के निर्माण और रखरखाव, जहाजों से तट तक परिवहन सुविधाओं, जहाजों के अधिग्रहण एवं रखरखाव, हवाईअड्डों और हेलीपैड के निर्माण तथा उड़ान और टेलिकॉन्ट्र सेवा के रखरखाव के लिए प्रावधान शामिल है।

3.18. **पर्यटन विकास:** इसमें पर्यटन अवसंरचना के विकास और अनुरक्षण के लिए प्रावधान शामिल है।

4. **केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए संघ राज्य क्षेत्र पूरक:** इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम तथा विशेष पोषाहार कार्यक्रम/एकीकृत बाल विकास योजना के लिए प्रावधान शामिल है।

5. **अनुदानग्राही/अन्य निकाय:** इसमें लक्षद्वीप राज्य वक्फ बोर्ड, विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, लक्षद्वीप कला अकादमी, लक्षद्वीप खादी एवं ग्राम विकास बोर्ड, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, लक्षद्वीप गोताखोरी अकादमी, पर्यटन एवं खेल संवर्धन सोसायटी तथा लक्षद्वीप राज्य समाज कल्याण बोर्ड के लिए प्रावधान शामिल है।

6. **संघ राज्य क्षेत्र का अन्य व्यय:** इसमें जेलों के अनुरक्षण, न्यायिक एवं गैर-न्यायिक स्टाम्पों की खरीद, सूचना एवं प्रचार संबंधी सुविधाओं के सृजन एवं रखरखाव, जिला प्रशासन के भवनों के रखरखाव तथा लक्षद्वीप सरकारी प्रेस के सृजन एवं रखरखाव आदि के लिए प्रावधान शामिल है।